प्रेषक,   **ई-मेल**

निदेशक,
प्राविधिक शिक्षा,
उ०प्र०, कानपुर।

सेवा में,

समस्त प्रधानाचार्य/निदेशक,
राजकीय/सहायता प्राप्त पालीटेक्निक संस्थान,
उ०प्र०।

सं०-22637-803/जे०-प्रशा०-शुल्क प्रतिपूर्ति/2023-24, दिनांकः 19 सितम्बर,2023

विषयः- वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र-2023-2024 में दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत उ०प्र० के मूल निवासी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों हेतु छात्रवृत्ति (शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) व अन्य कार्यों हेतु शासनादेश निर्गत किये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक समाज कल्याण अनुभाग-3 के पत्रांक-71/2023/2854/26-3-2023/C.N.-1513982, दिनांक 15.01.2021 **(छायाप्रति संलग्न)** का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

उपरोक्त के सम्बंध में अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2023-2024 में दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत उ०प्र० के मूल निवासी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों हेतु छात्रवृत्ति(शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) व अन्य कार्यों हेतु छात्रों को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति आवेदन से वितरण हेतु प्रस्तावित समय सारिणी में दिये गये दिशा-निर्देशों का व्यक्तिगत ध्यान देते हुये अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(कमलेश मणि)
सहायक निदेशक प्राविधिक शिक्षा
कृते निदेशक प्राविधिक शिक्षा
उ०प्र०, कानपुर।

पृ०सं०-22804-11/जे०-प्रशा०-शुल्क प्रतिपूर्ति/2023-24, तद्दिनांकः

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-अनुसचिव, उत्तर प्रदेश शासन, प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-3,विधान भवन, लखनऊ।
2-निदेशक, समाज कल्याण, उ०प्र०, लखनऊ।
3-समस्त संयुक्त निदेशक प्राविधिक शिक्षा को इस आशय से कि अपने नियंत्रणाधीन समस्त डिप्लोमा स्तरीय संस्थाओं को भी उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें साथ ही उनके कार्यों का अनुश्रवण अपने स्तर से करते रहे।
4-सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र०, लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि निजी क्षेत्र की डिप्लोमा स्तरीय संस्थाओं को उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु अपने स्तर से भी निर्देशित किये जाने का कष्ट करें।

(कमलेश मणि)
सहायक निदेशक प्राविधिक शिक्षा
कृते निदेशक प्राविधिक शिक्षा
उ०प्र०, कानपुर।